



आकुब पुत्र सतार खां

U.S. 136

16/2025

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी) पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण

कमांक : राजस्व/2025/37

दिनांक : 20/1/25


राजस्व पत्र सं. 16/2025

आदेश:-

2025/13

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बोरुन्दा को रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बोरुन्दा तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 1607 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	बोरुन्दा	1607	याकुबमो. पुत्र सतु खां	आकुब पुत्र सतार खां


उपखण्ड/अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, पीपाड़शहर
दिनांक :- 20/1/25

कमांक :-सम/2025/38 1040

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी बोरुन्दा को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी आकुब पुत्र सतार खां निवासी बोरुन्दा तहसील पीपाड़ शहर को सूचनार्थ।


उपखण्ड/अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, पीपाड़शहर